

क्रमांक :-अज/मा0संसा0/आर.टी.आई./59

दिनांक : 07.02.2025

निमित्त :-श्री एस. के. पाण्डा,
अपर महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली-110001.

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (APPEAL No.60) के बाबत।
प्रसंग :- कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 24.01.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक ई-मेल की पालना में आवेदनकर्ता श्री अशोक जैन महात्मा निवासी-हाई स्कूल रोड, मेन बाजार, रानी स्टेशन जिला (पाली) 306115) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (APPEAL RTI No.60) में वर्णितानुसार चाही गई सूचना/जवाब/प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर/प्रत्युत्तर/जवाब
1	डीएफसी विभाग द्वारा रानी स्टेशन पर करवाया गया भू-भाग का सीमांकन का कार्य जांच मय कार्यालय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि।	डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में जवाब दिया जा चुका है।
2	श्रीमान के कार्यालय रिपोर्ट के पश्चात् की गई कार्यवाही तथा अतिक्रमण पर नोटिस भूमि-विभाग से संबंधित सत्य सत्यापित जानकारी मय छांयाप्रतियां उपलब्ध करावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/ Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न)
3	रानी रेलवे स्टेशन के लिए डीएफसी रेलवे लाईन बिछाई गई किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर बिछाई गई लाईन का माहवार व वर्ष दिनांक से अवगत करावें।	रानी रेलवे स्टेशन के लिए उक्त किलोमीटर में डीएफसी द्वारा कोई रेलवे लाईन नहीं बिछाई गई है।
4	वर्तमान में डीएफसी की लाईन के दोनों ओर किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर रेलवे की भूमि भू-भाग की पूर्ण चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की सत्यापित प्रतिलिपि।	डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में उपलब्ध करवा दी गई है।
5	आप श्रीमान के कार्यालय द्वारा रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी की भूमि भू-भाग पर पूर्व दिशा में कब्जा जमाए अतिक्रमियों की सूची मय नाम, पता एवं आपके कार्यालय से जारी नोटिसों की छांयाप्रतियां उपलब्ध करावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। साथ ही वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न)
6	आप श्रीमान के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में संस्थित रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया पीसी 1 व 2 के बाहर निकलने के पश्चात् छोड़ा गया आम रास्ता की चौड़ाई की माप से संबंधित पूर्व दिशा की ओर रोड़ बनाया गया है। उस रोड़ की चौड़ाई से जानकारी मय रिकॉर्ड की छांयाप्रतियां दिलावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/ Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न)

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना/प्रत्युत्तर अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

इसे महाप्रबन्धक/समन्वय, अजमेर का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- कुल कित्ता 04

(नवीन कुमार)

उप मुख्य परि0प्रबन्धक/इंजी/मा0संसा0
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

नोट

श्री अशोक जैन महात्मा की आर.टी.आई. दिनांक 14.12.2024 का जवाब बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आईटम संख्या	मांगी गई जानकारी (प्रश्न)	दी गई जानकारी (उत्तर)
01	01	डीएफसी विभाग द्वारा रानी स्टेशन पर करवाया गया भू-भाग का सीमांकन का कार्य जांच मय कार्यालय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि।	डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में जवाब दिया जा चुका है।
02	02	श्रीमान के कार्यालय रिपोर्ट के पश्चात् की गई कार्यवाही तथा अतिक्रमण पर नोटिस भूमि-विभाग से संबंधित सत्य सत्यापित जानकारी मय छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है।
03	03	रानी रेलवे स्टेशन के लिए डीएफसी रेलवे लाईन बिछाई गई किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर बिछाई गई लाईन का माहवार व वर्ष दिनांक से अवगत करावें।	रानी रेलवे स्टेशन के लिए उक्त किलोमीटर में डीएफसी द्वारा कोई रेलवे लाईन नहीं बिछाई गई है।
04	04	वर्तमान में डीएफसी की लाईन के दोनों ओर किलोमीटर 484/5 से 488/5 हर 100 मीटर के अंतराल पर रेलवे की भूमि भू-भाग की पूर्ण चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की सत्यापित प्रतिलिपि।	डीएफसी के अधिकारियों व श्री अशोक जैन महात्मा के मध्य आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में उपलब्ध करवा दी गई है।
05	05	आप श्रीमान के कार्यालय द्वारा रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी की भूमि भू-भाग पर पूर्व दिशा में कब्जा जमाए अतिक्रमियों की सूची मय नाम, पता एवं आपके कार्यालय से जारी नोटिसों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। साथ ही वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है।
06	06	आप श्रीमान के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में संस्थित रानी रेलवे स्टेशन पर डीएफसी रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया पीसी 1 व 2 के बाहर निकलने के पश्चात् छोड़ा गया आम रास्ता की चौड़ाई की माप से संबंधित पूर्व दिशा की ओर रोड़ बनाया गया है। उस रोड़ की चौड़ाई से जानकारी मय रिकॉर्ड की छायाप्रतियां दिलावें।	आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा 6 (3) के तहत रेलवे विभाग के वरिष्ठ मण्डल अभियंता, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक अज/मा.संसा./आर.टी.आई./ 2024 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर पश्चिम अजमेर के पत्रांक W/CPGRAM/Complaint/LMC दिनांक 07.02.2025 से श्री अशोक जैन महात्मा को सूचना भिजवाई जा चुकी है।

विवेक काला

उप मुख्य परि. प्रबंधक/इंजी. II
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

उत्तर पश्चिम रेलवे

संख्या. W/CPGRAM/Complaint/LMC


श्री अशोक जैन महात्मा
हाई स्कूल रोड़, मैन बाजार
रानी स्टेशन (306115)
जिला-पाली (राज.)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने के क्रम में।


संदर्भ:- उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/इंजी-II, DFCCIL अजमेर का पत्र सं. अज/मा.सं.सा./
आर.टी.आई.2024 दिनांक 27.12.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से RTI के तहत आपके द्वारा मॉगी गई जानकारी के सम्बन्ध में मद सं. 6 व 7 हेतु DFCCIL द्वारा अजमेर मण्डल को स्थानान्तरित की गई है। इस क्रम में सहायक मण्डल इंजीनियर उ.प.रेलवे फालना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न:- यथोक्त।


वरि. मण्डल इंजीनियर (पश्चिम)
अजमेर

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/इंजी-II, DFCCIL अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उ.प.रे. N.W.R.

जी 30 बी/जी एल 19
G 30 B / GL 19

संख्या No. W-338/FA दिनांक Date 16.01.2025

प्रेषक From SSE/W/FA

सेवा में To ADE/FA

विषय Sub: → आर.डी.आई आर.केन (बी अर्थात् जैन महात्मा) फ्लॉड-
15.12.2024 के क्रम में अर्जाब भंडन के क्रम में।

संदर्भ Ref.: → मेटल कार्यालय अजमेर का फॉ क्रमांक W/CP/FA/AM/complaint/LMC
फ्लॉड-08.01.2025.

उपरोक्त विषय में लौख है कि बी अर्थात् जैन महात्मा,
रानी द्वारा आर.डी.आई आर.केन फ्लॉड-15.12.24 के अंतर्गत इस
युनिट से संबंधित मशी की जानकारी निम्नानुसार है:-

मक संख्या-6 - वर्तमान में रानी लखन-3061615 के जी.डी.सी.आई.एल
की भूमि के पूर्व स्थिति की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण
नहीं है।

मक संख्या न :- जल रेलवे लाइन के नीचे से निकलने वाला
बनाया गया P.S. 1 के पास द्वितीय प्रवेश भवन हेतु
रॉड एवं सरक्युलरिंग एरिया का निर्माण किया गया
है, जिसकी लंबाई नॉट्स में 11.50 मी० है।
P.S. 2 के पास यात्रियों का रेल परिसर में आवागमन
हेतु approach का निर्माण D.F.C.A.L के द्वारा कराया
गया है, जिसकी लंबाई 13.50 मी० है।
बुननाथ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु लखर उचित है।

forwarded to Sr. DE/W/AM/FA

(Signature)

सीनियर सैक्शन इंजीनियर (कार्य)
Senior Section Engineer (Works)
उ.प.रे. फालना, N.W.R. Falna

Asstt Divisional Engineer
उ.प.रे. फालना / NWR FALNA

क्रमांक सं. अज/मा.संसां./आर.टी.आई.2024

दिनांक 27.12.2024

निमित्त:

वरिष्ठ मंडल अभियंता
उत्तर पश्चिमी रेलवे
अजमेर।


विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित किये जाने के क्रम में।

संदर्भ:- आवेदक अशोक जैन महात्मा द्वारा आर.टी.आई दिनांक 14.12.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रार्थी श्री अशोक जैन महात्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना-पत्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को अपील के माध्यम सूचना चाही गई है, जिसमें डीएफसीसीआईएल द्वारा उपयोग के पश्चात् शेष भूमि से संबंधित जानकारी चाही गई है, जो आपके कार्यालय से संबंधित है। आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र आर.टी.आई एक्ट-2005 की धारा 6(3) के तहत आपको निराकरण हेतु अग्रेषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है-

प्रश्न	उत्तर
1 आप श्रीमान के कार्यालय के द्वारा रानी स्टेशन 306115 के डीएफसीसीआईएल की भूमि के पूर्व दिशा की भूमि पर ही कब्जा जमाये अतिक्रमियों की सूची मय नाम पता एवं आपके कार्यालय से जारी नोटिसों की भी छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।	
2 आप श्रीमान के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में संस्थित रानी रेलवे के स्टेशन पर श्रीमान की डीएफसीसीआईएल रेलवे लाईन के नीचे से निकलने वाला बनाया गया पी. सी. 1 व 2 के बाहर निकलने के पश्चात् छोड़ा गया आम रास्ता की चौड़ाई का माप से सम्बंधी पूर्व दिशा की और रोड़ बनाया गया है, उस रोड़ की चौड़ाई से जानकारी मय रिपोर्ट की छाया प्रतियां दिलावे।	

आवेदक प्रार्थना पत्र आर.टी.आई एक्ट 2005 की धारा 6(3)के तहत स्थानान्तरित की जा रही है। प्रार्थी को नो बिंदुओ का जवाब तैयार कर अपीलान्ट को अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।



रजिस्ट्रार प्रतिलिपि
Rajesh Bhat
Exec/C Ajmer

विवेक काला

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / इंजी.(II)
डीएफसीसीआईएल, अजमेर